पत्रांक–926/आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

महत्वपूर्ण
आवश्यक

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

पटना–15, दिनांक– 12/3/14

विषयः–लोक सभा आम चुनाव 2014 के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में प्राकृतिक एवं गैर–प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को राहत पहुँचाने के संबंध में ।

प्रसंगः–भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक–437/6/2009–CC&BE दिनांक 5–3–2009 एवं निर्वाचन विभाग, बिहार का पत्रांक–एम 1–06/2014–1643, दिनांक 10 मार्च, 2014 ।

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि गर्मी की ऋतु प्रारम्भ हो गयी है तथा राज्य में आगलगी की घटनाओं की सूचना प्राप्त होने लगी है । इसके अलावा गैर प्राकृतिक आपदा की भी घटना घटित हो रही है । ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि लोक सभा आम चुनाव 2014 के अवसर पर लागू आदर्श आचार संहिता के मद्दे नजर प्राकृतिक एवं गैर प्राकृतिक आपदाओं की दशा में राहत कार्य किस प्रकार चलायी जायगी ।

2– इस संबंध में आपका ध्यान भारत निर्वाचन आयोग के दिनांक 5–3–2009 के संदर्भित पत्र की कंडिका–9 की ओर आकर्षित करना चाहूँगा । यह पत्र वर्तमान लोक सभा आम चुनाव 2014 के संबंध में लागू आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार द्वारा सभी को परिचारित किया गया है एवं इस विभाग को भी प्राप्त हुआ है । इस पत्र की कंडिका–9 का उद्धरण नीचे दिया जा रहा है :–

9- Commission invariably takes a humanitarian view on the work that are necessitated due to man-made or natural calamities.

a. Ex-gratia payments and gratuitous relief in the aftermath of a disaster can be given directly to the persons affected at the current rates/scales of assistance presently in force, under intimation to the Commission. No change in the extent and prescribed scales of payments, however, shall be made in the existing rates/scales without prior permission of the Commission.

b. Payment directly to the hospitals from CM's/PM's Relief Fund, in lieu of direct cash payment to individual patients(beneficiaries) will be permissible without reference to the Commission.
c. Emergent relief works and measures that are aimed to mitigate the hardships, directly and solely, of the persons affected in a disaster may be taken up under intimation to the Commission.
d. However, new works that may be necessitated by way of preventive measures to mitigate the likely effects of natural disasters like repair of embankments, water channels etc. can be taken up only with prior permission of the Commission.
e. Also, an area shall not be declared drought/flood affected or any such calamity affected without prior approval of the Commission. The extent of area already declared to be calamity-effected cannot be expanded without prior approval of the Commission.
f. Similarly, any selective assistance to a group of persons from the PM's or the CM's Relief Fund will require prior approval of the Commissison.

3— इसके अलावा निर्वाचन विभाग, बिहार का संदर्भित पत्रांक—एम1—06/2014—1643, दिनांक 10मार्च,2014 (फोटो प्रति संलग्न) के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावितों के राहत एवं पुनर्वास का कार्य आदर्श आचार संहिता के लागू रहने की दशा में भी किया जा सकता है ।

4— अतः अनुरोध है कि आयोग एवं निर्वाचन विभाग द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशों के आलोक में प्राकृतिक एवं गैर प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत वितरण एवं पुनर्वास का कार्य सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक—यथोपरि ।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

लोक सभा आम निर्वाचन, 2014

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मिंगल्स रोड), बिहार, पटना-800015

दूरभाष सं0:- 0612-2217956
फैक्स:- 0612-2215611/2215978
ई-मेल:- ceo_bihar@eci.gov.in

पत्रांक: एम1-06/2014- 1643

प्रेषक

हुसैन यूसुफ रिज़वी,
संयुक्त सचिव।

विधि॰ का॰ प॰ प॰
(श्री सुनील कुमार)

सेवा में

जिला पदाधिकारी,
समस्तीपुर।

पटना, दिनांक 10 मार्च, 2014 ई0।

विषय:- **आदर्श आचार संहिता, 2014 के परिप्रेक्ष्य में- अग्निकांड से प्रभावित परिवारों को राहत उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंग:- **आपका पत्रांक 234/आ॰प्र॰ दिनांक 09.03.2014.**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया संदर्भ किया जाये। उक्त पत्र के द्वारा अग्निकांड पीड़ितों को रहात दिये जाने के विषय में स्वीकृति की मांग की गयी है।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि आदर्श आचार संहिता की 'Dos and Donts' के बिन्दु-2, जो निम्न प्रकार है, में निहित प्रावधान के आलोक में कार्रवाई की जाये:-

"Relief and rehabilitation measures to the people in areas affected by floods, drought, pestilence, and other natural calamities, can commence and continue."

विश्वासभाजन,

ह0/-
(हुसैन यूसुफ रिज़वी)
संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक 10 मर्च, 2014 ई0।

ज्ञापांक:- एम1-06/2014-1643

प्रतिलिपि:- सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, बिहार, राज्य को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(हुसैन यूसुफ रिज़वी)
संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक 10 मर्च, 2014 ई0।

ज्ञापांक:- एम1-06/2014-1643

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, सहाय्य एवं पुनर्वास विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/3
(हुसैन यूसुफ रिज़वी)
संयुक्त सचिव।